राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3907/2025

प्रतिभा यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मालविय नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.08.2025
आदेश की दिनांक : 07.10.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिमन्यु सिंह यदुवंशी, अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (चित्रकला) के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.07.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर पूर्व से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटी करोलन (218307), जयपुर में कर दिया गया। अपीलार्थी के एक छोटा बालक है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है, नवीन पदस्थापित स्थान अपीलार्थी के निवास स्थान झोटवाड़ा से काफी दूर है, जिससे अपीलार्थी को आने जाने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिसके कारण अपीलार्थी के बच्चे कि देखभाल नहीं हो पायेगी। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 30.07.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि अपीलार्थी के पुराने विद्यालय से श्रीमती कमला नेहरु बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोहरी बाजार (218906) जयपुर पूर्व स्कूल नजदीक है, जिनमें भी चित्रकला का पद रिक्त है। वहां पर जावे। तकनिकी खामी के कारण अपीलार्थी को वर्तमान विद्यालय से कार्यमुक्त नहीं किया गया है एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

31.07.2025 है, ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश 16.07.2025 के निर्देश संख्या 10 में भी निकटतम स्कूल में ट्रांसफर करने का प्रावधान है। अपीलार्थी के वर्तमान विद्यालय से उक्त विद्यालय नजदीक है एवं स्थानान्तरण आदेश में विद्यालय (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटी करोलन) वर्तमान विद्यालय एव से दूर है। इतना ही नहीं अपीलार्थी के रहवास स्थान से भी घाटी करोलन काफी दूर है। अतः ऐसी स्थति में उक्त स्थानांतरण आदेश में संसोधन करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण श्रीमती कमला नेहरू बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोहरी बाजार में रिक्त पद करने का अनुरोध किया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.07.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को पदस्थापन/स्थानान्तरण निकट के विद्यालय में किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)